"PARIVARTAN CAMPAIGN"

GVS IMPACT REPORT

APRIL 2015 TO MARCH 2020

SUBMITED TO

ACTION AID ASSOCIATION
NEW DELHI INDIA

REPORTED BY

GRAMIN VIKAS SANSTHA
CHICHOLI DISTT. BETUL
(M.P.)

+91 - 9424408224

gvsbetul@gmail.com

विवरणीका

क्र.	विवरण	पृष्ट क्र.
01-	जिला प्रोफाईल	03
02-	संस्था परिचय	03
03-	कार्यक्षेत्र का विवरण	04,06
04-	परियोजना का उददेश्य	06
05-	सामाजिक मानचित्र ब्लॉक चिचोली	07
06-	कवरेज डिटेल गॉववार	08
07-	SP Wise Intervention	09,15
08-	केसस्टडीज	16,45
09-	न्यूज एण्ड फोटो	46,52

- [जिला बैतूल - एक परिचय](#) :

भारत की हृदय स्थली मे स्थित बैतूल जिला मध्यप्रदेष पवित्र ताप्ती नदी के उदगम स्थल का गौरव प्राप्त किये हुये है। दिल्ली, मद्रास मुख्य रेल्वे लाईन पर भोपाल - नागपूर के मध्य स्थित है। अखण्ड भारत के केन्द्र बिन्दु पर बसा यह बैतूल जिला आदिवासी संस्कृति को उद्घाटित करता है।

भौगोलिक स्थिति:-

आदिवासी बाहुल्य जिला बैतूल के दक्षिण में सतपुडा पर्वत की श्रंखलाओ में फैला हुआ है। उत्तर में नर्मदा की घाटी और दक्षिण में पठार का मैदान है। यह जिला 21"22′ के 22"23′ उत्तरी अक्षांष एवं 77"-10′ से 78"-33′ देषांष के मध्य स्थित है। इसके उत्तर में होषंगाबाद जिला, दक्षिण में महाराष्ट्र प्रदेष का अमरावती जिला, पूर्व में छिंदवाडा जिला और पष्चित में पूर्वी निमाड (खण्डवा) जिले की सीमाए लगी हुई है। बैतूल जिला सतपुडा की पर्वत श्रृखलाओ में समुद्र सतह से 365 मीटर और इससे अधिक उचाई पर बसा हुआ है। पर्वत श्रृंखला पूर्व की ओर अधिक उंची है। जो पष्चित की ओर कम होती है। औसत उंचाई 653 मीटर उंची है। चारो भागो में विभाजित श्रृखलाएं (1) सतपुडा पर्वत श्रृखला (2) तवा मोरण्ड घाटी (3) सतपुडा पठार के बीच में (4) ताप्ती की घाटी है।सतपुडा पर्वत श्रृखला के दोनो ओर तवा और नर्मदा नदी स्थित है। श्रृंखला में कई उंची चोटियां है। जिनमं सबसे उची चोटी पूर्व में किलनदेव 1107 मीटर है। चोटियों पर ही पुराने किले बने थे जो पूरे क्षेत्र में प्रषासन के लिये उपयोगी थे। तवा घाटी समुद्र सतह से 396 मीटर उंचाई पर है। घाटी का अधिक भाग किमती वृक्ष सागौन से ढका हुआ है। और किनारे की भूमि उपजाउ है। सतपूडा का पठार जिले के पूर्वी भाग में उंची - उची चोटिया उत्तर तक फैली है।

संस्था परिचय:- ग्रामीण विकास संस्था वर्ष 1995 में सामाजिक कार्यकर्ताओ द्वारा गठित की गई जिसे सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, सन् 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन पंजीयित की गई है संस्था 2003 में FCRA । के अन्तगत भी पंजीक्रत है, आयकर अधिनियम की धारा 12 A एवं 80G में भी पंजीकृत है। और संस्था को Certificate ISO 9001:2015 भी प्राप्त है। संस्था ग्रामीण और जनजातिय लोगो के जीवन में बदलाव लाने के लिये काफी प्रेरित है। इसलिए संस्था की स्थापना से सही विभिन्न कार्यक्रमो व गतिविधीयो से आत्मनिर्भर समाज बनाने के लिये अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। पिछले 24 वर्षो के दौरान संस्था ने बैतूल जिले के चिचोली ब्लॉक के आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के कल्याण के लिये स्थानीय और जिला स्तर पर कार्यक्रम किये जिसमें संस्था के जुडाव से आदिवासी व अन्य समुदायो को आत्मनिर्भर

बनाने हेतु आय सृजन गतिविधीया, जल, जंगल, जमीन और स्वच्छता, महिलाओ पर होने वाले अत्याचारो के खिलाफ आवाज उठाई और वंचित व कमजोर वर्गो के न्यायायिक अधिकारो और कल्याणकारी विकास, बाल विकास पर भी कार्य किया एवं पंचायतराज को मजबूत करने लिये भी संस्था कार्यक्रमो के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संस्था द्वारा आदिवासी व अन्य समुदायो के लोगो की आजीविका सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किये जिसमें उन्हे शासन के कल्याणकारी विभिन्न विभागो और मनरेगा योजना से सीधा लाभांवित किया गया। एवं विभिन्न शासन और समुदाय के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये निरन्तर संस्था अग्रसर है।

कार्यक्षेत्र का विवरण

चिचोली:-

चिचोली आदिवासी गोंड और कोरकू बाहुल्य विकासखण्ड है। इसमें 33 ग्राम पंचायते और 79 ग्राम और 1 विरान ग्राम है जिसमें 9 वनग्राम है एवं शेष 71 राजस्व है। बैतूल जिला मुख्यालय से चिचोली जनपंद पंचायत मुख्यालय की दूरी 34 कि0मी0 दूर बैतूल-इन्दौर राष्ट्रीय राज्यमार्ग 59 । पर पष्चिम - उत्तर दिषा में स्थित है। यहा की जलवायु अत्यन्त स्वास्थ्यवर्धक हैं। एवं मुख्य फसलो में मक्का, धान, ज्वार, अरहर, उडद, सोयाबिन, कोदो, कुटकी, सावा, जगनी, तिल्ली, गेहूँ, चना, मूंग आदि है, एवं जनजातिय समुदाय की आय का मुख्य स्तृोत वनोपज संग्रहण, खरीफ फसल एवं दैनिक मजदूरी है। चिचोली जनपंद की 5 ग्रामपंचायतो के 15 ग्राम कार्यक्षेत्र के रूप में शामिल थे, जिसमें 2 वनग्राम थे।

भौगौलिक स्थिति :-

चिचोली आदिवासी जनजातिय बाहुल्य क्षेत्र है, जिसकी क्षेत्र सीमा तहसील का क्षेत्रफल 438.04 वर्ग किलोमीटर है। यह दक्षिण - पश्चिम और उत्तर- पश्चिम में हरदा जिला उत्तर में होषंगाबाद जिला व उत्तर पूर्व में शाहपुर तहसील, दक्षिण-पूर्व में बैतूल तहसील और दक्षिण में भैंसदेही तहसील सीमा लगी है।

जनसंख्या विवरण :-

चिचोली तहसील की कुल जंनसंख्या:- 86795

महिला - 43026, पुरूष - 43769

जातिगत स्थिति विकासखण्ड चिचोली :-

अनुसूचित जनजाति - 55987

अनुसूचित जाति - 4336
अ.पि.वर्ग - 26472

सामाजिक स्थिति विष्लेषण:-

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार चिचोली विकासखण्ड में 84-86% गोण्ड और कोरकू समुदाय निवास करते है। यह समुदाय अपनी गरीबी, भूख, कुपोषण व साहुकारो, व्यापारियो दंबगो के शोषण का षिकार रहा है। बड़ी संख्या में यहा के लोगो का पलायन होता है। पोषण न मिलने के कारण कोरकू समुदाय में कुपोषण के कारण मृत्युदर अधिक है।आदिवासी समुदाय के परम्परागत प्राकृतिक संसाधन उनसे छीनते चले गये। रोजगार मूलक कार्यो का ठीक से क्रियान्वयन न हो पाना, वनाधिकार कानून और पेसा कानून का ठीक से क्रियान्वयन न हो पाना जिससे आश्रित आदिवासीयो की आजीविका जैसे - लघुवनोपज संग्रहण, जलाऊ लकडी, अकाष्ठीय वनोपज आदि उनके नियंत्रण से बाहर होते चले गये सामाजिक रूप से जनजातिय समाज में शिक्षा स्तर और गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले वंचित और कमजोर वर्गो के परिवार और सामाजिक दृष्टि से महिलाओ की स्थिती दोयम दर्जे की है और भौतिकवादी परम्परा का चलन इन समुदाय में भी प्रचलन में आ गया है। महिलाओ के प्रकरण शुद्धिकरण, जाति पंचायत जैसी कुप्रथाये है, महिला - पुरूषो में असमानता है। वर्षा आधारित कृषि होने से सिर्फ एक ही मौसम में खेती होती है, पहाडी क्षेत्र दुर्गम होने के कारण शासकीय सुविधाओ का लाभ इस समुदाय तक कम मात्रा में पहुच पाता है, समाज की दृष्टि में यह समुदाय हर स्तर से पिछडा है, तथा विकास से काफी दूर है। समाज में अंधविष्वास, जादूटोना, शुद्धिकरण, रूढिवादी जैसी कुप्रथाये व्याप्त है।

शैक्षणिक स्थिती:-

विकासखण्ड में शिक्षा का स्तर 61.9% है। गॉव स्तर पर ऑगनवाडी एवं प्राथमिक विधालय है लेकिन कक्षा 8वी के बाद पढाई छोडने वाले बालक - बालिकाओ की संख्या लगभग 40% है, हाईसेकेण्डरी की शिक्षा 30 से 40 प्रतिषत बमुष्किल सम्भव हो पाती है। महाविधालयीन पढाई मुष्किल से 5 से 10 प्रतिषत छात्र कर पाते है। साक्षरता की दर तो सरकारी आकडो में बढी है लेकिन वास्तविकता की कमी है। षिक्षको की कमी निरन्तर बनी रहती है, शिक्षा का स्तर गुणवत्तापूर्ण नही है, अतिथि शिक्षको के भरोसे शाला संचालित हो रही है।

सामुदायक के साथ हिंसा एवं शोषण की स्थिति:-

आदिवासी समुदाय अपनी आजीविका के लिये परिवार सहित विभिन्न क्षेत्रो में पलायन करते है। वहा उनका आर्थिक, दैहिक शोषण, कम मजदूरी मिलना, अधिक काम करवाना, हिंसा मारपिट करना बलात्कार, ट्रेफिकिग जैसी घटनाये आमबात थी प्रभावषाली और दंबगो के द्वारा विभिन्न माध्यमो से अलग - अलग स्तरो पर उनका शोषण करते थे जिसमें अब कमी आई है।

महिला कि स्थिति एवं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा:-

आदिवासी समाज में जाति पंचायत, शुद्धिकरण, अंधविष्वास, जादूटोना, रूढीवादी परम्परा जैसी कूप्रथा प्रचलित थी। जिसके लिये जाति पंचायत दंण्ड देती है, जाति पंचायतो के निर्णयो में महिलाओ की भागीदारी न के बराबर थी। आदिवासी समाज में भी लिंग आधारित भेदभाव काफी तेजी से बढा है। लिंगानुपात में कमी आ रही है। महिलाओ के साथ घरेलु, मानसीक, शारीरिक, आर्थिक हिंसा, कार्यस्थल के क्षेत्र में हिंसा, असमान मजदूरी, बलात्कार, ट्रेफिकिग, मानव तस्करी, पलायन जैसी घटनाये बढी है।

- **परियोजना का उद्देष्य:-** In year 2014 the project was extended to another block Chicholi which is adjacent to Bhimpur block. The objective of expansion was to evolve "Parivartan" Campaign in to network based program as similar issues has been identified in Chicholi. There was also a need for development of a strong network to address the issue of violence against women and human trafficking, malnutrition and land campaigns. In last year Pradeepan was recognized as lead funded partner and where as **Gramin Vikas Sanstha** as non funded partner supported for program implementation in Chicholi block. Year 2015 onwards, Parivartan campaign has been running as a network based initiative implemented by Pradeepan, Gramin Vikas Sanstha and People's organizations.

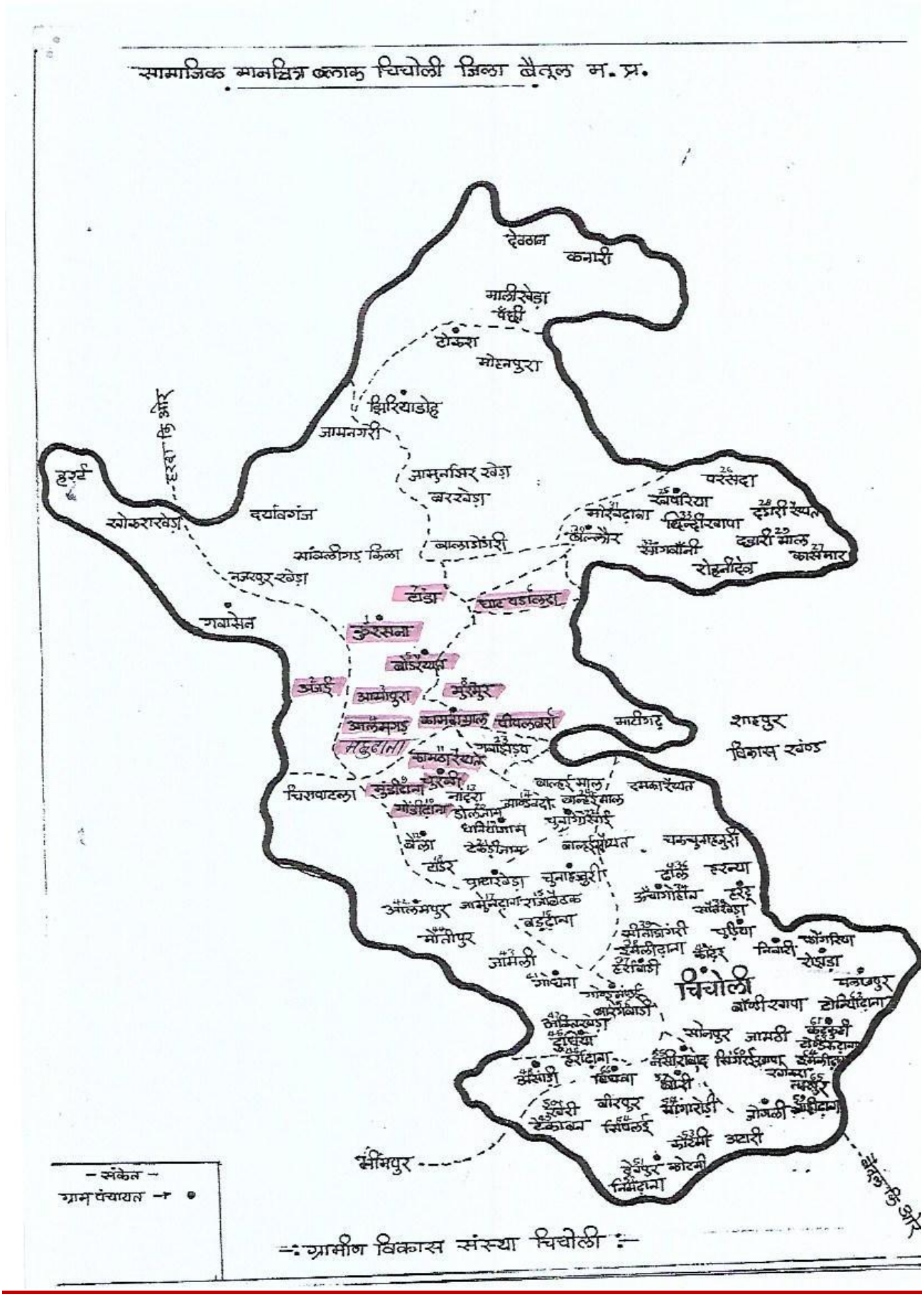

सामाजिक मानचित्र ब्लाक चिचोली जिला बैतूल म. प्र.
देवठान
कनारी
मालीखेड़ा
मोहनपुरा
झिरियाडोह
जामनगरी
हरदा कि ओर
दर्यावगंज
बररवेड़ा
सांवलीगढ़ किला
नजरपुर खेड़ा
गवासेन
टांडा
कुरसना
आलमगढ़
परसदा
रोहनीदेह
चिरापाटला
आलमपुर
मोतीपुर
जामली
चिचोली
शाहपुर
विकास खण्ड
सोनपुर
जामठी
भीमपुर
बैतूल कि ओर
- संकेत -
ग्राम पंचायत →
-: ग्रामीण विकास संस्था चिचोली :-

- **dojst fMVsy ¼xkaookj½ :-**

क्र	ग्राम	ग्रामपंचायत	कुल जनसंख्या	महिला	पुरूष	बालक	बालिका	एकल/विधवा/परित्यागता	APL	BPL	अन्तोदय	आवास	
												कच्चा	पक्का
01	अजई	कुरसना	493	223	208	35	27	8	12	93	02	49	13
02	आलमगढ	कुरसना	1002	418	415	95	74	15	14	149	20	171	30
03	कुरसना	कुरसना	648	287	293	38	30	13	4	55	16	79	4
04	आमापूरा	कुरसना	318	142	139	19	18	7	01	40	8	40	6
05	टाण्डा	बोडरैय्यत	374	159	165	24	26	18	7	51	9	65	00
06	पडाल्दा	बोडरैय्यत	324	134	140	22	28	5	18	24	00	59	3
07	बोडरैय्यत	बोडरैय्यत	856	403	397	26	30	6	34	58	11	155	9
08	भुरभुर	बोडरैय्यत	195	78	76	19	22	4	8	22	4	17	4
09	पिपलबर्रा	कामठामाल	978	401	414	78	85	11	5	190	12	105	6
10	कामठामाल	कामठामाल	1196	542	538	62	54	11	9	137	46	83	25
11	इमलीढाना	कामठामाल	227	102	91	18	16	9	7	46	3	22	12
12	गोंण्डीढाना	चुरनी	236	118	95	14	9	4	4	56	7	27	8

13	मुण्डीढाना	चुरनी	208	85	91	14	18	9	6	31	2	22	6
14	कोरकूढाना	चुरनी	589	257	247	48	37	10	12	171	5	121	16
15	महुढाना	चिरापाटला	351	146	124	43	38	9	12	59	07	30	10
	कुल योग :-		**7995**	**3495**	**3433**	**555**	**512**	**139**	**153**	**1182**	**152**	**1045**	**152**

SP wise Intervention :-

क्र0	उद्देश्य	प्रक्रिया	उपलब्धियॉ
01	SP-1 प्राकृतिक संसाधनो पर समुदाय का नियत्रण। ✓ सामुदायिक भूमि और उस पर दावा (कब्जा) सहभागी अभ्यास और आकडो का विष्लेषण। ✓ पेसा और वनाधिकार के अंतर्गत व्यक्तिगत और सामुदायिक भूमि कानूनी कार्यवाही, भूमि अधिकार के निरस्तीकरण के कारणो की मांग एवं कानूनी कार्यवाही। ✓ केन्द्रीय ऐजेण्डा में भूमि	• ग्राम स्तर पर वनाधिकार पत्र प्राप्त करने के लिये विभिन्न चरणो मे पात्र हितग्राहियो के साथ वनाधिकार समिति पंचातय प्रतिनिधी पटवारी, नाकेदार के साथ बैठके कि गई विभिन्न स्तरो पर क्षमतावर्धन प्रशिक्षण अनुभवलाभ यात्रा से समझ बनाई गई, पश्चयात अधिकार पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन फार्म भरवाकर नाकेदार, पटवारी की सहमति के साथ ग्राम सभा में प्रस्तूत कर पास होने के बाद खण्डस्तरीय उपसमिति के माध्यम से जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरान्त अधिकार पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण की गई। भूमि अधिकारो	➢ 152 सीमांत परिवारो को वनभूमि पर नियंत्रण। ➢ 15 ग्राम में 152 परिवारो का पलायन रूका एवं स्थानीय रोजगार उपलब्ध हुआ। ➢ पलायन के दौरान महिलाओ पर होने वाली हिंसा कम हुई एवं बच्चो की शिक्षा में बढौतरी हुई।

	सुधार के मुद्दो को शामिल करते हुए अनुसंधान] विष्लेषण और जनप्रतिक्रिया सच्चाई के आधार पर सामाजिक प्रयास और अन्य लोगो को सक्रिय करना। ✓ महिलाऐ और भूमि अधिकार और अन्य संसाधन नारीवाद नियमों का उपयोग लोगो की प्रतिक्रिया। ✓ प्राकृतिक संसाधनो का मानचित्रीय अध्ययन प्रस्तावित 15 ग्रामो में भूमि, वन और जल संसाधनो का मानचित्रीकरण। ग्राम स्तर पर स्थित संसाधनो की उपलब्धता और आवष्यकता इन स्त्रोतो में प्राकृतिक	पर अभियान (समुदायिक वन अधिकार और व्यक्तिगत अधिकार) दावा प्रस्तूत किया गया।	
		भूमि के अधिकार पर नेतृत्व कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 82 प्रतिभागीयो ने भाग लिया । जिसमें उन्हे भूमि के अधिकार से जुडे मुद्दो के बारे में जानकारी से क्षमता बडी ।	152 परिवारो को भूमि के अधिकार की जानकारी से समझ बडी एवं उनकी आजीविका सुनिश्चित हुई।
		• भूमि पर अभियान (समुदायिक वन अधिकार अभियान) 8 ग्रामो में किया गया जिसमें 316 लोगो को जानकारी से क्षमता बडी, जिससे उन्हे भूमि के अधिकार पत्र प्राप्त हो सके।	81 परिवारो को सामुदायिक वनाधिकार अभियान के पश्चयात भूमि का अधिकार मिला।
		• सीएफआर और पेसा अधिनियम के तहत् समुदाय द्वारा विकसित और पुनर्जीवित वन और जल के लिये नियमों और विनियमों के निर्माण पर	➢ 5 ग्राम में पेसा अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया । जिसमें 24 लोगो की जल, जंगल, जमीन पर उनकी समझ बनाई गई।

	स्त्रोत (संसाधन) जैसे - वन] भूमि और जल महत्वपूर्ण है। ये संसाधन ग्रामीण समुदाय के जीवन के आधार है।	बैठक ली गई जिसमें 56 प्रतिभागी शामिल हुये।	
		• भूमि अधिकारो के मामलों पर राज्य स्तर पर जन सुनवाई। जिसमें 01 जिलास्तर पर जनसुनवाई हुई। जिसमें 16 लोग शामिल थे।	➢ 6 महिलाओ एवं 1 एकल महिला को भूमि का अधिकार प्राप्त हुआ।
		• 5 वी अनुसूची क्षेत्र मं पेसा संचालन की बैठक 6 ग्राम में की गई।	➢ पेसा कानून के तहत् ग्राम सभा का आयोजन परियोजना क्षेत्र में होना सुनिश्चित हुआ। 1 मंजराटोला में ग्रामसभा किया गया।
		• एफआरए के तहत् लंबित दावो को पुनः ग्रामसभा में प्रस्तूत करने का अभियान किया जिसमें 8 ग्रामो से 283 प्रतिभागी शामिल हुये।	➢ वनाधिकार कानून के अन्तर्गत निरस्त हुये दावो को पुनः ग्राम सभा में प्रस्ताव करवाया गया। प्रस्ताव पष्चयात दावो को खण्डस्तरीय समिति को भेजा गया।
		• समुदाय और वन समुदाय के बीच नियमों और विनियमों को मजबूत बनाने पर समुदाय के नेताओ का उन्मुखिकरण प्रशिक्षण किया गया जिसमें परियोजना क्षेत्रो के ग्रामो से आये 62 प्रतिभागीयो ने भाग लिया।	वनाधिकार कानून पर 62 प्रतिभागी शामिल हुये जिसमें वनाधिकार के दावे प्रपत्र भरने और ग्राम सभा में लगाने वन विभाग से समन्वय स्थापित करने में दक्ष हुये।
		भूमि अधिकार पर युवा नेतृत्व निर्माण 2 दिवसीय प्रशिक्षण मे परियोजना क्षेत्र के 15 ग्रामो से आये 87 प्रतिभागी शामिल हुये।	➢ भू-अधिकार पर युवाओ का क्षमतावर्धन दो दिवसीय प्रशिक्षण में युवाओ का प्रशिक्षण हुआ जिसमें युवाओ की भूमि से जुडे मुद्दो पर समझ बनाई गई।

02	बाल अधिकार ✓ जमीनी स्तर पर समुदाय, नीति, विष्लेषण और मिडिया फैलोषिप के माध्यम से कुपोषण को जड़ से हटाने के प्रयास करना। शासकीय शाला का निरन्तर संचालन बना रहे उसके लिये प्रयास व समन्वय शिक्षा की गुणवता पर अभियान। ✓ समुदाय के साथ नेटवर्क - बच्चो को बालश्रम से दूर करने की नीतियॉ एवं उन्हे अच्छी शिक्षा देने की ओर एक पहल। ✓ बाल विशेष कानून जैसे - JJ एक्ट, बालविवाह निषेध एवं बालश्रम व तसकरी के खिलाफ	• कुपोषण से संबंधित समुदाय आधारित पुर्नवास केन्द्र की स्थापना 9 ग्रामो में कि गई जिसमें 462 प्रतिभागी शामिल हुये।	➢ परियोजना क्षेत्र के 9 ग्रामो मे बच्चो को कुपोषण से बचाने के लिये समुदाय आधारित पोषणपुर्नवास केन्द्र की स्थापना (समुदाय द्वारा) की जिसमें समुदाय द्वारा अनाज (गेहूँ, चावल, दाल व अन्य अनाज) एकत्र कर उसे बेच कर प्राप्त रूपये से मूंगफली के दाने, मुरमुरा, गुड खरीद कर केन्द्र में महिला समूह द्वारा लड्डू बनाकर कुपोषित बच्चो के साथ सामान्य बच्चो को वितरित किये गये। जिसमें बच्चो का वजन बढा और कुपोषण में कमी आई।
		• बच्चो की 2 नेतृत्व कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 138 बच्चो ने भाग लिया।	➢ नेतृत्व कार्यशाला प्रशिक्षण में बच्चो को अपने 4 अधिकारो (1) जीवन जीने का अधिकार (2) विकास का अधिकार (3) शिक्षा का अधिकार (4) सहभागीता का अधिकार) व चाईल्ड हेल्पलाईन न. 1098 पर समझ बनाई गई, 81 बच्चो को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने लगी।

	कानून पर काम कर उसे सक्रिय करना।		
	✓ शाला प्रंबंधन समिति गठन करने व पी.आर.आई एवं SMC सदस्यो की सदस्यता पर कार्य करना।	• मानव तसकरी (खरीद फरोख)के मामले की पैरवी का 1 प्रशिक्षण किया गया जिसमें 90 प्रतिभागीयो ने भाग लिया।	➢ परियोजना क्षेत्र के 15 ग्राम से आये 90 प्रतिभागीयो को जिसमें समुदाय के लोग, पीआरआई एवं SMC सदस्यो के साथ प्रशिक्षण किया गया जो कि तसकरी के मामले जैसे महिला, बच्चो, पलायन जाने से रोकना, बच्चो को स्कूल भेजना व स्थानीय रोजगार से जोडने का निर्णय लिया गया।
		• बाल पंचायतो की 34 बैठके की गई जिसमें 1037 बच्चो ने भाग लिया।	➢ परियोजना क्षेत्र के 15 ग्राम से आये 1037 बच्चो को उनके अधिकारो के प्रति समझ बनाई गई जिसमें उन्हे उनके 4 अधिकार (1. जीवन जीने का अधिकार, 2. विकास का अधिकार, 3. शिक्षा का अधिकार, 4. सहभागीता का अधिकार) व चाईल्ड हेल्पलाईन न. 1098, यौनिक हिंसा, बाल मजदूरी पर समझ बनाई गई।
		• शाला प्रंबंधन समिति एवं पी.आर.आई सदस्यो के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 57 प्रतिभागी शामिल हुये।	➢ परियोजना कार्यक्षेत्र के 15 गॉव से 57 प्रतिभागीयो ने भाग लिया जिसमें उन्होने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षक की कमी, विषयवार शिक्षक, स्कूल भवन मरम्मत, बालक-बालिका शौचालय निर्माण और पेयजल की उपलब्धता को प्राथमिकता देते हुये प्रतिमाह जनप्रतिनिधि, शाला प्रंबंधन समिति जैसे जवाबदेही समिती के द्वारा यह कार्य करवाने का निर्णय लिया गया।

03	महिला अधिकार ✓ नारीवाद की बेहतर समझ विकसीत करने के लिए नियमित प्रशिक्षण और ओरियेन्टेशन, नारीवाद नेतृत्व कार्यक्रम, प्रतिकूल लिगांनुपात, तस्करी और महिलाओं से संबंधित अन्य मुद्दे - दस्तावेजीकरण।	• 3 महिला नेतृत्व कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें परियोजना क्षेत्र के 15 ग्रामो से 191 महिला प्रतिभागी सामिल हुई।	❖ परियोजना क्षेत्र के 15 ग्रामो से महिला नेतृत्व कार्यशाला में 191 महिला प्रतिभागीयो ने भाग लिया जिसमें उन्हे अपने अधिकारो के प्रति जागरूक किया गया एवं उन्हे महिलाओ पर होने वाली हिंसा - ❖ मानसिक हिंसा। ❖ शारिरिक हिंसा। ❖ घरेलु हिंसा। ❖ कार्यस्थल पर हिंसा। के विरूद्ध एकजुट होकर निर्णय लेने के लिये उनकी समझ बनाई गई।
	✓ कृषि कार्यो में श्रम विभाजन अन्य क्षेत्रो और घरो पर काम करने वाली महिलाऐ, विभिन्न स्तरो पर समूहों के माध्यम से मानचित्र द्वारा कृषि कार्य अन्य कृषि कार्य, घर पर कार्य में श्रम की जेण्डर विभाजन पर सवाल उठाते हुए नारीवाद की तरफ झुकाव की ओर	• स्थाई कृषि पर महिला किसान समूहो का उनमुखिकरण प्रशिक्षण में परियोजना क्षेत्र के 15 ग्रामो से 64 महिलाओ ने भाग लिया।	➢ स्थाई कृषि पर महिला किसान समूह का उनमुखिकरण प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें 64 महिला किसानो ने भाग लिया जिसमें उन्हे परम्परागत कृषि व सब्जी की खेती एवं स्थाई कृषि के रूप में परम्परागत बीज बचाने के लिये कोदो कुटकी, सावा जैसे मोटे अनाजो का संकलन कर बीज भण्डारण किया गया एवं महिलाओ के द्वारा सब्जी उत्पादन कर बाजार में बेचा जा रहा है, जिससे उनके पास प्रतिदिन पैसा आ रहा है।
		• जिला स्तरीय मावा शक्ति समूह की सशक्तिकरण बैठक में 61 महिलाओ ने भाग लिया।	➢ जिला स्तरीय मावा शक्ति समूह की संशक्तिकरण बैठक में 61 महिला प्रतिभागीयो ने भाग लिया जिसमें उन्हे

	पैरवी घर के अन्दर संसाधनो का वितरण और न्याय के बिंदु से महिलाओ के पोषण और स्वास्थ्य, समर्थन में प्रक्रियाओ और वैवाहिक सम्पति में संसाधनो के अधिकार के लिये कानूनी कार्यवाही। ✓ महिलाओ, किषोरियो की तस्कर, बाल विवाह और उनके शोषण के खिलाफ आवज उठाना।		गॉव स्तरीय समूह एवं हासिये पर खडे गरीब, दलित, वंचीत व कमजोर वर्गो कि समस्याओ को ब्लॉक एवं जिला स्तर पर उठाने का निर्णय लिया गया। महिलाओ के साथ होने वाली हिंसा और उनसे बचने के उपायो के बारे में उन्हे जानकारी पर समझ बनाई गई।
		• महिला सम्पत्ति अधिकार अभियान परियोजना क्षेत्र के 9 ग्रामो में किया गया जिसमें 526 प्रतिभागीयो ने भाग लिया।	❖ महिला सम्पत्ति अधिकार अभियान परियोजना क्षेत्र के 9 ग्रामो में किया गया जिसमें 526 प्रतिभागीयो ने भाग लिया जिसके परिणामस्वरूप - 5 गॉव की 7 महिलाओ को अपने पति की पैतृक सम्पत्ति पर अधिकार मिला। ❖ 7 efgykvks dks ,Q-vkj-, ds vUrZxr tehu dk vf/kdkj i= ds :i esa ekfydkuk gd feykA ❖ 7 महिलाओ को एफ.आर.ए के अंर्तगत जमीन का अधिकार पत्र के रूप में मालिकाना हक मिला। ❖ 5 महिलाओ को आवासीय भूस्वामी के रूप में पहचान मिली।
		• अर्न्तराष्ट्रिय महिला हिंसा विरोधी पखवाडा 25 नवम्बर से 16 दिसम्बर तक 15 ग्रामो में किया गया जिसमें 3428 महिला प्रतिभागी शामिल हुइ।	➢ अर्न्तराष्ट्रिय महिला हिंसा विरोधी पखवाडा 25 नवम्बर से 16 दिसम्बर तक 15 ग्रामो में किया गया जिसमें 3428 महिला प्रतिभागी शामिल हुई जिसके बाद महिला हिंसा, ट्रेफिकिंग, तस्करी, पलायन के प्रकरणो में

			कमी आई और महिला उर्जा डेक्स के प्रति समझ बनाई गई जिससे महिलाये निर्भिक होकर हिंसा से संबंधित मामलो में विचार विर्मश करने लगी।

सफल केस स्टडीज

सफल केस स्टडी
जैविक क़षि
अधिक उपज का मूल मंत्र केचुआ खाद
ग्रामीण विकास संस्था चिचोली जिला बैतूल म0प्र0

❖ ग्रामीण विकास संस्था के कार्यक्षेत्र के 7 ग्रामो में आधुनिक रासायनिक कृषि के चलते भूमि की उवर्रा शक्ति एवं मानव समुदाय में दुष्परिणाम होने से बचने के लिए समुदाय द्वारा परम्परागत जैविक कृषि की शुरूवात हो गई है जिसके लिये जैविक कृषि के सबसे महत्पूर्ण अंग केचुआ खाद, गोबर खाद की आवश्यकता होती है एवं उसे बनाने हेतु 7 ग्रामो में पहल प्रयास जारी है जिसके नाम इस प्रकार है -

1. बोडरैय्यत।
2. अजई।
3. आमापूरा।
4. कामठामाल।
5. पिपलबर्रा।
6. भुरभुर।
7. महुढाना।

- कार्यक्षेत्र के 6 ग्रामो में कुल जनसंख्या- 3888
- महिला - 1897, पुरूष - 1991

मुख्यतः 6 ग्रामो में समुदाय के लोग खेती व मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते है। इनका निस्तार वर्ष के छः माह वनोपज से एवं अन्य छः माह में कृषि मजदूरी, से चलता है। कृषि में रासायनिक खाद के उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, जिससे भूमि में कृषि उपज रासायनिक खाद के बिना लेना संभव नही हो पाता है, जिसके कारण समुदाय के लोगो को ग्रामीण विकास संस्था द्वारा नियमित ग्राम बैठके कर जैविक कृषि करने व उससे होने वाले लाभ के विषय पर जानकारी दि गई जिसके परिणामस्वरूप ग्रामो

में जैविक कृषि के लिए केचुआ खाद व गोबर खाद बनाने की शुरूवात हुई।

रासायनिक खाद के दुष्परिणाम :- फसलो में रासायनिक खाद के प्रयोगो से मानव जीवन पर इसके दुष्परिणाम हो रहे है जिससे वह टी.वी., केंसर, हृदय रोग, कुपोषण, उम्र में कमी आना अन्य बिमारियो से ग्रस्त हो रहे है।

केचुआ खाद बनाने की विधि:- सर्वप्रथम 3ग10 की भूमि सतह को आधा फिट खोदा जाता है उसमें 5ग10 फिट की काली प्लास्टिक पन्नी 3-3 फिट की दूरी पर लकडियो के सहारे प्लास्टिक को खडी की जाती है] उस स्थान पर 3 फिट की उचाइ पर कचरा और गोबर का मिश्रण कर डाल दिया जाता है उसे तीन दिन तक लगातार पानी डालकर उसमें 2 किलो केचुआ छोडा जाता है यह स्थान पेड या मंडप के निचे छायादार सुरक्षित होना चाहिये इसमें 40 से 45 दिनो में खाद बनकर तैयार हो जाती है।

केचुआ खाद से लाभ :- केचुआ खाद में पौधों के लिए आवष्यक लगभग सभी पोषक तत्व पर्याप्त एवं सन्तुलित मात्रा में मौजूद होते हैं जो पौधों को सुगमता से प्राप्त हो जाते है।

- केचुआ खाद में मनुष्य तथा पौधों को नुकसान पहुॅचाने वाले किसी भी तरह के जीवाणु उपस्थित नही होते है।
- केचुआ खाद में खरपतवारो के बीज नही होते । अतः खेत में इसका प्रयोग करने पर किसी भी तरह के खरपतवार की समस्या नही होती। इसके विपरित रासायनिक खाद में खरपतवार अधिक होती है।
- केचुआ खाद का मूल्य कम होने के कारण खेती में इसके उपयोग करने से फसलो की उत्पादन लागत में कमी आती है।

- भूमि में केचुआ खाद डालने से वह भूरभूरी हो जाती है व केचुआ मात्र अधिक हो जाती है।

समुदाय के लोग अपने खेतो में सब्जिओ व फसलो (गेंहू, मक्का, सोयाबिन, धान, तुअर) में उपयोग करने लगे जिससे फसलो में लगने वाले किटो से सुरक्षा मिली, अनाज, सब्जियो में पोषक तत्वो की मात्रा बढी।

सफल केस स्टडी

तालाब निर्माण (जल सरक्षण)

ग्राम- अजई

ग्राम पंचायत - कुरसना

जनपंद पंचायत - चिचोली

जिला - बैतूल (म0प्र0)

वर्ष - 2018

बैतूल जिला मुख्यालय से चिचोली विकास खण्ड से पष्चिम दिशा में लगभग 40 किलोमीटर दूर बैतूल हरदा मार्ग पर स्थित राजस्व ग्राम अजई है । इस गॉव में महिला 250 पुरूष 243 कुल जनसंख्या 493 है । जहॉ अनुसूचित जनजाति (कोरकू समुदाय) महिला 188, पुरूष 192 एवं पिछडा वर्ग (गौली समुदाय) महिला 62, पुरूष 51 है। ऑगनवाडी में दर्ज बच्चो की संख्या - 57 जिसमें 29 बालिका, 28 बालक व प्राथमिक शाला में दर्ज - 57 जिसमें 27 बालिका, 30 बालक है। ग्राम अजई में मकानो की संख्या - 79 है, एवं परिवारो की संख्या - 88 है।

आदिवासी बाहुल्य ग्राम अजई में 88 परिवार निवासरत है । एक्षनएड परिवर्तन अभियान में ग्रामीण विकास संस्था चिचोली द्वारा कार्यक्षेत्र के 15 ग्रामों में आदिवासी समुदाय के अधिकार, महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, आदिवासी समुदाय के संस्कृति एवं पहचान, वंचित समुदाय (एकल महिलाए, निःशक्तजन, बच्चे) के लिये सामाजिक न्याय हेतू प्रयास किया जा रहा है ।

- **<u>समूह संगठनो का स्थानिय रोजगार के लिए प्रयास</u>:-** ग्राम अजई में समुदाय के लोगो को रोजगार हेतु पलायन जाते थे। उनको ग्राम में स्थानिय रोजगार उपलब्ध नही होता था। जिसके कारण लोगो की आर्थिक स्थिती दयनीय रहती थी।
  - ग्रामीण विकास संस्था द्वारा ग्राम अजई में बनाये गये समूह, समूह में आदिवासी एकतामंच व महिला संगठनो द्वारा ग्राम बैठक कर निर्णय लिया गया कि वे ग्राम अजई की समस्त समस्याओ को चिन्हित कर ग्राम का संसाधन एवं सामाजिक मानचित्र तैयार करगे और ग्राम विकास योजना (माईक्रोप्लान) तैयार करेगें।

ग्राम बैठके।

- ग्राम अजई में ग्राम बैठक में समूह, संगठनो के प्रयास से संसाधन व सामाजिक मानचित्र एवं माईक्रो प्लान तैयार किया गया, और 14 अप्रैल 2018 की ग्राम सभा में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित करवाया गया।

ग्राम सभा में समुदाय के द्वारा माईक्रोप्लान प्रस्तावित।

- **<u>समूहो के प्रयास से रोजगार उपलब्ध हुआ</u>** :-

समूह समूह द्वारा ग्राम सभा में लिया गया प्रस्ताव के आधार पर ग्राम स्तर पर 2 तालाबो का कार्य प्रारम्भ हुआ जिसमें 88 परिवारो में से 60 परिवारो को ग्राम में हि स्थानिय रोजगार उपलब्ध हुआ। जिसमें 142 महिला 65 पुरूष मजदूरो ने लगभग 270 दिनो का काम मिला जिससे उनकी आर्थिक स्थिती में सुधार आया एवं उनको प्रतिदिन 172रू का 290 दिन में 49880रू की कुल मजदूरी प्राप्त हुई।

- ग्राम अजई में तालाब बनने से स्थानीय रोजगार उपलब्ध हुये और पशु पेयजल की सुविधा के साथ-साथ भूमि का जलस्तर भी बढा। जिससे महिला समूह द्वारा आगामी वर्ष में वर्षा अधिक होने पर मछली पालन करने का निर्णय लिया गया और समूह द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि यदि मछली पालन करेगे तो प्रति महिला बारी-बारी से उस तालाब की देख-रेख करने का निर्णय लिया गया।
- ग्राम अजई में तालाब बनने से स्थानिय रोजगार समुदाय के लोगो को उपलब्ध हुआ जिससे पलायन के दिनो में कमी आई, महिलाओ, युवतियो के साथ पलायन के दौरान होने वाली हिन्सा से उनकी सुरक्षा हुई एवं पषुओ को वर्ष में 6 माह तक हि पेयजल उपलब्ध होता था। वर्तमान में तालाब बनने से पूरे वर्ष भर पषुओ को पषु पेयजल मिलने लगा।

समस्त कार्यकर्ता

टीम ग्रामीण विकास संस्था चिचोली

केस स्टडी

समूह के प्रयास से किये गये कार्यो की सफल केस स्टडी

ग्राम महुढाना, ग्राम पंचायत - चिरापाटला

जनपंद पंचायत - चिचोली जिला बैतूल म0प्र0

ग्रामीण विकास संस्था चिचोली जिला बैतूल म0प्र0

❖ **ग्राम के मुख्य व्यक्ति** :-

ग्राम सरपंच - फोटोबाई

सचिव - बरातीलाल मर्सकोले

ग्रामदूत - शीलाबाई धुर्वे

ऑगनवाडी कार्यकर्ता - संगीता आर्य

सहायिका - यशोदा धुर्वे

समूह समूह के द्वारा किये गये कायZ :-

1. ग्राम स्तर पर पेसा कानून पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रो में विस्तार) अधिनियम 1996 के द्वारा ग्रामसभा करवाने के लिये जिला कलेक्टर, एसडीएम को आवेदन दिया गया।

2. सी.सी.रोड के लिये जनपंद पंचायत चिचोली में व जिला कलेक्टर को आवेदन दिया गया।

3. शौचालय के लिये ग्राम पंचायत व जिला कलेक्टर को आवेदन किया गया।

4. नल-जल योजना के लिये ग्राम पंचातय एवं जनपंद पंचायत में CMO को आवेदन दिया गया।

5. नलकूप खनन हेतु आवेदन ग्राम पंचातय स्तर पर दिये गये।

6. ग्राम के संगठनो के द्वारा लेबर बजट तैयार किया कर ग्राम सभा में दिया गया।

पेसा कानून के अन्तर्गत :-

समूह सगठन के प्रयास से ग्राम महुढाना में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रो में विस्तार) अधिनियम 1996 के अन्तगत ग्राम सभा का आयोजन करवाया गया जिसमें SDM एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे

<u>सी0सी0रोड़ए शौचालयए नलजल योजना</u> :- समस्त कार्ययोजनाओ के लिये समूह के द्वारा जनपंद पंचायत ब्म्व् एवं ग्राम पंचायत को समूह के द्वारा आवेदन दिया गया।

ग्राम महुढाना में सी0सी0रोड निर्माण :-

ग्राम के संगठनो द्वारा लेबर बजट तैयार किया गया

ग्राम स्तर पर समुदाय आधारित पोषणपुर्नवास केन्द्र की स्थापना :- समूह के माध्यम से प्रत्येक घर से स्वैच्छानुसार पैसे एवं अनाज (गेहू] चावल] तुअर] दाल] चना] कोदो] कुटकी) एकत्रित कर ऑगनवाडी केन्द्र में मिक्स खिचडी एवं मूंगफल्ली]मुरमुरे] गुड़ के लड्डू तैयार कर बच्चो को कुपोषण से बचाने हेतु खिलाया गया।

महिला समूह के द्वारा बोरी बधान कार्य किया गया:-

- **<u>परम्परागत बीज कोदो कुटकी :-</u>** यह बीज औषधी वर्धक है एवं यह एक अनाज भी है] जो कम वर्षा में भी पैदा हो जाता है। भारत के विभिन्न भागो में इसकी खेती की जाती थी जहॉ आज के वर्तमान युग में धान] मक्का] गेहू जैसी आधुनिक फसलो के चलते हम अपने इस परम्परागत बीज कोदो] कुटकी की खेती बहुत कम मात्रा में कर रहे है।
- <u>ग्राम की पृष्ठभूमि</u> :- यह ग्राम हरदा मार्ग में जनपंद पंचायत चिचोली से 30 कि.मी. दूर चिरापाटला के पास पष्चिम दिषा में स्थित है इस ग्राम में 2 जाति के परिवार निवास करते है।
- इस ग्राम मे पहले कोदो कुटकी का उत्पादन लगभग सभी किया करते थे पर आज के इस युग के नयी-नयी बदलती भोजन शैली के आधार पर बीजो का भी परिवेष बदला है जहा कोदो कुटकी की खेती की जाती थी वहा आज हम अन्य खाद्यानो की खेती करते है।

- <u>परम्परागत बीजो के बचाव हेतु प्रयास</u> :- कोदो] कुटकी की खेती पुनः करने के लिए ग्राम महुढाना में ग्रामीण विकास संस्था के द्वारा परम्परागत बीजो के संरक्षण को लेकर ग्राम बैठक का आयोजन किया गया जिसमें ग्राम के सभी किसानो ने अपनी सहभागीता की और बैठक में उन्हे बताया गया कि उनके परम्परागत फसल के

उत्पादन से क्या लाभ है एवं विलुप्त होती इस फसल के लिए पुनः किसानो के इसके उत्पादन के लिए तैयार किया गया।

बीज वितरण :-

- कुटकी के पौधे का स्वरूप - कुटकी का पौधा मूलतः मोटा अनाज व जंगली धास के नाम से जाना जाता है। इसकी धान से इसकी उचाई कम होती है एवं इसका बीज (दाना) वह भी गोल होता है। इसकी फसल वर्ष में सिर्फ एक ही बार वर्षा ऋतु के समय सितम्बर माह में तैयार हो जाती है। इसके लिए भूमि की अच्छी होना या ज्यादा मेहनत करने की कोई आवष्यकता नही होती है। इसे पकने से पहले ही काट लिया जाता है। इके बाद इसकी दावन की जाती है।

➢ **<u>कुटकी से लाभ</u>** :- कुटकी का उपयोग चिकित्सीय रूप से भी किया जाता है।

- कुटकी का सेवन गर्भवती माताओ के लिए अत्यन्त लाभकारी व इसके निरन्तर सेवन से बच्चो कुपोषित नही होगे एवं इससे मानव स्वास्थ्य पर कोई दुषप्रभाव नही होता है।

- सुगर एवं वात] पशुओ के रोगो के लिए भी अत्याधिक फायदेमंद है, इसके प्रयोग से गलाइकोजन के रूप में खून में शुगर के संचय को रोक कर लीवर को फायदा पहुचाती है।

संस्था द्वारा स्थाई कृषि परम्परागत बीजो उत्पादन के लिए 15 ग्रामो में 125 किसानो को चिन्हित किया गया। व अभी वह स्थाई कृषि की शुरूआत की गई है। एवं सभी के द्वारा मिलकर एक स्थान पर सग्रहित करने का निर्णय किया गया।

धन्यवाद

टीम ग्रामीण विकास संस्था चिचोली

न्यूज एण्ड फोटो

मनरेगा प्रशिक्षण बी.आर.सी भवन चिचोली

स्वशासन एवं पेसा प्रशिक्षण बी.आर.सी भवन चिचोली

शासकीय योजना का प्रचार प्रसार 2015 ग्राम कामठामाल ।

महिला भू-अधिकार अभियान मुण्डीढाना।

बाल पंचायतो का क्षमतावर्धन चिचोली

महिला भू-अधिकार अभियान कुरसना।

ग्राम पडाल्दा में जलप्रंबंधन को लेकर संसाधन का मानचित्र बनाते हुये ग्रामीण ।

जल प्रंबंधन को लेकर सामाजिक एवं संसाधन मानचित्र को लेकर चर्चा करते हुये।

शाला प्रंबंधन समिति के सदस्यो का क्षमतावर्धन करते हुये । ग्राम आलमगढ

प्रावधान के अनुसार ग्राम सभाओ को सक्रिया करना ग्राम महुढाना

परिर्वतन अभियान के अन्तर्गत महूढाना में समुदाय आधारित पोषण के लिये अनाज इक्टठा किया गया

।

परिर्वतन अभियान के ग्राम पिपलबर्रा में प्लान एण्ड बजट मिटिग।

चिरापाटला पहुंची शोषण मुक्ति यात्रा

चिचोली @ पत्रिका. महिला हिंसा विरोधी पखवाड़ा के अंतर्ग
महिला शोषण मुक्ति यात्रा जो नरसिंगपुर जिले से चलकर शुक्रवा
को ग्राम चिरापाटला पहुंची यात्रा के दौरान ग्राम चिरापाटला में परिवर्त
अभियान ग्रामीण विकास संस्था चिचोली द्वारा महिला शोषण मुक्ति
जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बालक छात्रावास परिस
चिरापाटला मे किया गया। कार्यक्रम में किशोरी बालिका, महिलाएं ए
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हुई, जिन्हें महिला हिंसा, बालिका हिंस
से मुक्ति, महिला संरक्षण के लिए कानूनी जानकारी के साथ साथ हिंस
से निपटने के लिए आत्म रक्षा के गुर भी सिखाए । कार्यक्रम
संचालन ग्रामीण विकास संस्था चिचोली एवं प्रदीपन संस्था बोरग
के संचालक अनिल भुसारी,एवं रेखा गुजरे द्वारा किया गया इस दौर
परिवर्त अभियान जिला समन्वयक उमा परमार, जंगलसिंग पर
राजकुमार काकोड़िया, खलिता विश्वकर्मा व दिव्या बागवे उपस्थित

अंर्तराष्ट्रीय महिला हिंसा विरोधी पखवाड़ा

सामुदायिक वनाधिकार अभियान ग्राम मुण्डीढाना।

MTR Review

[आपका अविस्मरणीय सहयोग]

धन्यवाद

टीम:-

ग्रामीण विकास संस्था चिचोली

जिला बैतूल म0प्र0

- %